राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांकः एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./सामा.अंके. कलैण्डर/10–11/6008-09 जयपुर दिनांकः 13.8.10

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त राजस्थान।

विषयः– सामाजिक अंकेक्षण की पूर्व तैयारी एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभा आयोजन के कम में जिला स्तरीय अधिकारियों को किराये के वाहन की स्वीकृति के कम।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कार्य की पूर्व तैयारी एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर से प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से की गई है। ऐसे जिला स्तरीय अधिकारी जिनको सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया हैं परन्तु जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं हैं, उनको दो दिन (एक दिन सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी के पर्यवेक्षण हेतु एवं एक दिन सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन दिवस हेतु) किराये पर वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन वाहनों की नियमानुसार लोग बुक भरवाना एवं उपयोग का सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जावे।

किराये के वाहनों पर व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुमत प्रशासनिक व्यय मद से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अनुमोदन से जारी की जाती है।

भवदीय,

(श्रीनिवास मीणा)
मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

क्रमाकः एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./सामा.अंके. कलैण्डर/10–11/6008-09 जयपुर दिनांकः 13.8.10

<u>प्रतिलिपि</u> :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, राजस्थान
4. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/~~द्वितीय~~/परियोजना निदेशक, ईजीएस
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान
6. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, समस्त राजस्थान

13/8/10
मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

H:\Calender.doc